आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
13.08.2019	**न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया** उत्पाद वाद संख्या-107/2018 राज्य बनाम **1. अमरेश कुमार, पिता-चिरंजीव ठाकुर, सा0+पो0+थाना-लालगंज, जिला-वैशाली। (जप्त Pickup Van No.- BR06G-1074 के मालिक (पुलिस के प्रतिवेदनानुसार))** **2. बच्चू लाल साह, पिता-स्व0 गोपाल साह, सा0-भथौना, थाना-करजा, जिला-मुजफ्फरपुर। (जप्त Vehicle No.- BR06G-1074 के मालिक (जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार))** **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। यह वाद **बायसी थाना कांड सं0-80/2018 दिनांक 02.04.2018** के आलोक में प्रारम्भ की गई है। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 1744/हि0शा0 दिनांक-26.04.2018** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 02.04.2018 को बायसी के चरैयामोड़ NH-31 सड़क का उत्तरी लेन के पास की गई।** जांच के क्रम में **जप्त वाहन से कच्चा स्प्रीट 350 लीटर** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी सं0-01 को निबंधित डाक से नोटिस निर्गत किया गया, जो बिना तामिला के वापस प्राप्त हो गया। तत्पश्चात् जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 205 दिनांक 14.02.19 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी सं0-02 को नोटिस निर्गत किया गया, जिनके द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि जप्त वाहन सं0-**BR06G-1074** पिकअप भान नहीं है, वल्कि टेलर है, जिसे उनके द्वारा	

पूर्व में ही बेच दिया गया है। इस प्रकार प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जप्त पिकअप भान में फर्जी निबंधन सं0 दर्ज है।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि **जप्त वाहन से कच्चा स्प्रीट 350 लीटर** बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग स्प्रीट के परिवहन में किया गया है। वास्तविक वाहन मालिक द्वारा अभीतक अपने वाहन की खोज-बीन नहीं किया जाना स्पष्ट करता है कि इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढ़ोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा स्प्रीट का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्त्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत् प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध स्प्रीट जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग स्प्रीट के परिवहन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं प्रदीप कुमार झा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त कथित वाहन Pickup Van No.- BR06G-1074** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि

उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।